दिनांक 04.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमेठी/थाना जायस

•पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

•01 मोटर साइकिल

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 04.06.2024 को थाना जायस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग नसीराबाद रोड पर मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 आजिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जायस पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आजिम निवासी कजियाना थाना जायस जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

•01 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के 01 कुन्तल 38 किलोग्राम तार बरामद

दिनांक 03.06.2024 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मरघटी बाईपास बम्बा रोड़ के पास से अभियुक्त विष्णु को गिरफ्तार किया गया। दो बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 कुन्तल 38 किलोग्राम तार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विष्णु निवासी बमरोई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ, हालपता सुदामा नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

➢ **जनपद मथुरा/थाना मांट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना मांट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 376 सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त काका उर्फ देवकी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना खैराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 (2झ) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू उर्फ अरूण को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना जरवल रोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना जरवल रोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना डलमऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना डलमऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोमेलाल को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।